(2)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2570–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–07–2012 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 36/निगरानी/2009–10

.........

सुजातअली पिता शहादत अली
व्यवसाय मुजावर–दरगाह पुख्ता हजरत चिमनचिश्ती
निवासी–ग्राम टोडी, तहसील व जिला मन्दसौर

................ आवेदक

विरूद्ध

1-- तहसीलदार, तहसील मन्दसौर जिला–मन्दसौर
2-- अध्यक्ष कमेटी दरगाह चिमन चिश्ती मन्दसौर
द्वारा सदर मोहसीन खान निवासी–मन्दसौर
3- मो0 शफीक पिता मोहम्मद युसुफ
निवासी–छिपा बाखल मन्दसौर

...... अनावेदकगण

......

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच0के0 अग्रवाल, पेनल अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 शासन
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2 व 3

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक / / को पारित )

यह निगरानी, आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू0-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम टोडी तहसील मन्दसौर म भूमि सर्वे क्रमांक 130, 52, 57, 79, 84, 86 89, 90, 91, 136, 139, 140 141, 239 240 241, 242, 243, 37 कुल किता 19 कुल रकबा 4.6314 हेक्टर स्थित है। यह भूमि दरगाह पुख्ता हजरत चिमन चिश्ती के भूमिस्वामी स्वत्व की है । उक्त वादग्रस्त भूमि दरगाह पुख्ता हजरत चिमन चिश्ती को दान में दी गई थी व आवेदक के पूर्वजो को इस दरगाह का मुजावर नियुक्त किया गया था । आवेदक, पीढ़ी दर पीढ़ी मुजावर नियुक्त होते जा रहे है, वर्तमान में आवेदक मुजावर है और भूमि आवेदक के कब्जे म है । जिस पर आवेदक कृषि कार्य करता चला आ रहा है । तहसीलदार मन्दसौर द्वारा उक्त भूमि की नीलामी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जो दिनांक 05.10.2009 द्वारा निरस्त की दी गई । तहसीलदार मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–10–2009 के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर जिला मन्दसौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्र0 4/2009–10/निगरानी पर दर्ज हुई और दिनांक 25–05–2010 निरस्त की गई । आवेदक ने अपर कलेक्टर मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–05–2010 के विरूद्ध आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो आक्षेपित आदेश दिनांक 30–07–2012 द्वारा निरस्त की गई । उक्त पारित आदेश दिनांक 30–07–12 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्वालियर राज्य द्वारा दान में दी गई थी और आवेदक के पूर्वजों को मुजावर नियुक्त किया गया था । ग्राम टोडी तहसील मन्दसौर के संवत 1969 के बन्दोबस्त –अभिलेख मे वादग्रस्त भूमि के स्वामी के नाम के आगे आराजी माफी अतिय सरकार लिख हुआ है व मुजावर कुतुबअली बल्द एहमद अली दर्ज है। इस प्रकार सवत 1995 में मुजावर कुतुबअली बल्द एहमदअली का नाम दर्ज है । उस वक्त ग्वालियर स्टेट के अभिलेख मे नाम दर्ज था। सन् 1973–74 के रिकार्ड ऑफ राईटस म मुजावर शहादतअली पिता कुतुबुददीन का नाम दर्ज है । इस अभिलेख का भी अवलोकन किये बगैर ही आक्षेपित

आदेश पारित करने में गम्भीर भूल की है । कृषि भूमि कदीमद माफी द्वारा ... आराजी व नकदी रियासत से शासित है और इस विधान की धारा 3(2) के अन्तर्गत कुतुबअली का नाम दर्ज करने हेतु आदेश प्रदान किया गया है । वक्फ एक्ट प्रभावशील होने के पूर्व से दरगाह माफी आकाफ के अभिलेख में दर्ज है । इस प्रकार वक्फ एक्ट 1995 से यह भूमि शासित नहीं है । अधीनस्थ न्यायलयों ने इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार ही नहीं किया और वादग्रस्त भूमि को वक्फ की सम्पत्ति मानने में और नीलामी की कार्यवाही करने में गम्भीर भूल की है । तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की नीलामी की कार्यवाही बगैर किसी आधार के की गई है । मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा दिनाक 6--5--2008 को आदेश पारित किया गया है जिसमें 10 एकड़ से अधिक भूमि पूजारी के कब्जे में रखे जाने के आदेश दिये गये है । इस आदेश के विपरीत जाकर नीलामी की कार्यवाही करना वैधानिक त्रुटि है । मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा दिनांक 30 -05--2012 को आदेश जारी कर मंदिरों की भूमि लीज पर नहीं दी जाकर अस्थायी रूप से दिनांक 31--5--2012 तक मंदिर के पूजारी के हवाले रखी जाने व इस अवस्था को आगे जारी रखने के सम्बन्ध में भी विचार करने के निर्देश जारी किये है और आगामी आदेश तक मंदिर से लगी कृषि भूमि को लीज पर देने की कार्यवाही स्थगित रखे जाने के निर्देश दिये है । उक्त स्थिती स्पष्ट होने के बावजूद भी वादग्रस्त भूमि नीलामी करने के आदेश दिये गये है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र0 2 व 3 को आवश्यक पक्षकार मानन में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नीलामी में बोली लगाने वाले व्यक्तियों को आवश्यक पक्षकार मानने में भूल की है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अनावेदक क्र0 2 व 3 किसी भी रूप में पक्षकार नहीं है । आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा अपर कलेक्टर मंदसौर को भी पत्र लिखकर यह निर्देश दिये गये कि वक्फ अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही उक्त दरगाह माफी आकाफ के अभिलेख में दर्ज है को देवस्थान दरगाह वक्फ बोर्ड के नाम किस प्रकार अंकित हुई है उसकी विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन शीघ्र भेजे । इन निर्देशों का भी कोई पालन ... अवलोकन नहीं किया गया और आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया । अतः ...

K.

आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से उनके पेनल अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ अनावेदक क्र0 2 व 3 के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से बताया है कि ग्राम टोडी परगना मंदसौर स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 79, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 135, 139, 140, 141, 239, 240, 241, 242, 243, 37 कुल किता 18 कुल रकबा 4.765 हैक्टर है । उक्त भूमियां मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 अगस्त 1989 से दरगाह चिमन चिश्ती शाह ग्राम टोडी एवं कृषि भूमियां वक्फ बोर्ड के नाम अंकित करने का प्रकाशन हो चुका होकर उक्त भूमियां म0प्र0 वक्फ बोर्ड भोपाल के नियंत्रण में होकर प्रति वर्ष तहसीलदार मंदसौर द्वारा नीलाम की जाती होने से तहसीलदार मंदसौर द्वारा सन् 2008 में उसमें स्वयं सुजात अजी आवेदक ने बोली लगाई, तथा आखरी बोली होने से सुजात अली के नाम रूपये 7700/– पर खत्म की गई, तथा मौजूदा नीलामी की कार्यवाही में अधिकतम बोली अनावेदक क्रमांक 3 की रुपये 10,500/– होने पर आवेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर नीलामी की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न किया है । अपर कलेक्टर मंदसौर ने प्रकरण क्र0 4/निग0/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2010 को आवेदक सुजात अली द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करते हुए तहसीलदार परगना मंदसौर के प्रकरण क्र0 798/बी–121/2008–09 का नीलामी की जा रही कार्यवाही को वैधानिक बताते हुए उसकी पुष्टि की होने से आवेदक ने उक्त आदेश के विरूद्ध संभाग आयुक्त उज्जैन के समक्ष निगरानी पेश की। जिसका प्रकरण क्रं0 36/निग0/2009–10 होकर निगरानी सारहीन होने से अपर कलेक्टर मंदसौर द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप करने योग्य नही होने से निगरानी निरस्त की गई है । उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की है । सर्वप्रथम राजस्व न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि चिमन चिश्ती दरगाह व कृषि

भूमिया राजपत्र दिनांक 25 अगस्त 1989 से वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित की जाकर वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में होने से उक्त भूमि को नीलाम करके उसकी आय से दरगाह का रख–रखाव तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों में लगाने का एकमात्र अधिकार वक्फ बोर्ड द्वारा कमेटी को होने से राजस्व न्यायालयों को विवाद सुनने का अधिकार नहीं है, वक्फ एक्ट सन् 1995 पूर्ण अधिनियम होकर सेन्ट्रल एक्ट होने से वक्फ एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार मंदसौर को चिमन चिश्ती दरगाह की कृषि भूमियों का नीलाम करने के निर्देश में की जा रही नीलामी की कार्यवाही को आवेदक सुजात अली को राजस्व न्यायालय द्वारा रूकवाने का अधिकार नहीं है । सुजात अली का कोई नीलामी की कार्यवाही से उत्पीड़न है तो उसको वक्फ बोर्ड एवं म0प्र0 वक्फ अधिकरण भोपाल के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिये । ऐसी स्थिति में मौजूदा निगरानी प्रथम दृष्टिया निरस्त होने योग्य से निरस्त फरमाई जावे । इस संबंध में न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 सन् 2012 म0प्र0 प्र0 पेज 188 वहीद खां वि0 स्टेट ऑफ म0प्र0 में ग्वालियर बैंच । ए0आई0आर0 201 एस0सी0 2013 पेज 3530 का उल्लेख किया गया। औकाफ एक्ट सम्वत 1983 ग्वालियर स्टेट व कवायद माफी दारान सम्वत 1991 ग्वालियर स्टेट निरस्त रिपील हो गया । 8 मई 1960 को म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 प्रभावशील होने पर कवायद माफीदारान जुल्दे आरीजी व नगदी रियासत गवालियर की परिस्त और औकाफ की हमदाद और निगरानी कानून सम्वत 1983 निरस्त होने पर हो गई होने से निगरानीकर्ता को उक्त कानून का कोई लाभ नहीं मिलता होने से निगरानी निरस्त होने योग्य है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत शार्ट नोट नम्बर 75 में एल0जे0 1969 का उल्लेख किया। निगरानीकर्ता केवल मुतवल्ली है और वक्फ की सम्पत्ति पर उसका कोई स्वत्व, हित आधिपत्य नहीं है । विवादित भूमिया नकल रजि0 रजिस्ट्रेशन, औकाफ वाके मंदसौर जिला मंदसौर दरगाह चिमन चिश्ती साकिन वाके तोडी जिला मंदसौर के नाम दर्ज होकर वक्फ कमेटी की निगरानी में होने से तहसीलदार मंदसौर द्वारा नीलामी की जाती है । जिसमें आवेदक सुजात अली पिता शहादत अली को आपत्ति करने का कोई Locuss lavid नहीं है । यहां तक कि 2008 में स्वय सुजात अली ने नीलामी में भूमिया होने से सुजात अली साक्ष्य अधिनियम

की धारा 115 के अनुसार विबंधित होने से उसको आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होने से तहसीलदार अपर कलेक्टर एवं आयुक्त उज्जैन संभाग आपत्ति ... तत्पश्चात निगरानी दर निगरानी निरस्त की है । अन्त में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार व अपर कलेक्टर मंदसौर एवं आयुक्त संभाग उज्जैन के निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों के समीपवर्ती होने से पारित आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । वर्तमान निगरानी वक्फ सम्पत्ति की कृषि भूमि की नीलामी ... कार्यवाही को लेकर प्रचलित है । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 25–08–1989 में वक्फ सम्पत्ति के तौर पर अधिसूचित है । वक्फ सम्पत्तियों का प्रबन्धन वक्फ अधिनियम जो कि एक केन्द्रीय अधिनियम के तहत होता है । ऐसी सम्पत्तियों पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । ए.आई.आर. 2012 मध्यप्रदेश 188 में भी यही मान्य किया गया है ।

7/ आवेदक द्वारा इस आधार पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है कि विवादित सम्पत्ति वक्फ की न होकर माफी/औकाफ की है तथा वक्फ के रूप में गलत दर्ज हुई है । समर्थन में उन्होंने कलेक्टर का प्रकरण कमांक 135/बी–121/2012–13 आदेश दिनांक 03–05–2013 प्रस्तुत किया है जिसमें इस संबंध में जॉच के आदेश दिये गये है।

8/ आवेदक की इस आपत्ति के आधार पर इस प्रकरण में उसे कोई लाभ तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति को वक्फ सम्पत्ति से denotify नहीं कर दिया जाता। उक्त बिन्दु इस निगरानी के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

9. जहाँ तक वक्फ सम्पत्ति का शेष भूमि नीलामी की कार्यवाही का प्रश्न है के संबंध में अनावेदक की यह आपत्ति स्वीकार योग्य है कि यह न्यायालय इस बिन्दु पर विचार करने के लिये सक्षम नहीं है। आवेदक को चाहिये कि वह इस बिन्दु को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के तहत उठायें।

10. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से प्रकरण इस न्यायालय में समाप्त किया जाता है।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर